

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 अक्टूबर 2014—आश्विन 25, शक 1936

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद् के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

क्र. एफ 3-4-2014-बासठ.—राज्य शासन, एतद्वारा, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के विद्यार्थियों हेतु आवास-भाड़ा भत्ता योजना नियम, 2014 का प्रकाशन किया जाता है.

मध्यप्रदेश विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति विद्यार्थी आवास भाड़ा भत्ता योजना नियम 2014

मध्यप्रदेश शासन द्वारा विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के विद्यार्थियों हेतु आवास भाड़ा भत्ता योजना लागू करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाये जाते हैं:—

1. **संक्षिप्त नाम-विस्तार एवं प्रारंभ**—1.1 ये नियम “मध्यप्रदेश विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति विद्यार्थी आवास भाड़ा भत्ता योजना नियम, 2014” कहलायेंगे.

1.2 इनका विस्तार एवं कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा.

1.3 राज्य शासन द्वारा जारी आदेश दिनांक से नियम प्रभावशील होंगे.

1.4 मध्यप्रदेश शासन विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग द्वारा विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति विद्यार्थी आवास भाड़ा भत्ता योजना के लिये प्रावधानित राशि का उपयोग इन नियमों के अनुसार किया जावेगा.

1.5 नियमों में संशोधन एवं परिवर्धन का अधिकार राज्य शासन को होगा.

2. **उद्देश्य**—विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के विद्यार्थियों का उच्च शिक्षा में प्रवेश अन्य वर्गों की तुलना में कम है. विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के विद्यार्थियों का गुणात्मक रूप से अन्य वर्ग के विद्यार्थियों के समतुल्य प्रवेश सुनिश्चित करने हेतु रणनीति बनाने की आवश्यकता है ताकि विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के विद्यार्थी आर्थिक अवरोधों से मुक्त होकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें. उक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर आवास भाड़ा भत्ता प्रदाय योजना तैयार की गई है.

3. **परिभाषायें**—3.1 “राज्य शासन” से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन से है.

3.2 “विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति” से तात्पर्य उन जातियों से है, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन द्वारा राज्य के लिये विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति घोषित किया गया है.

3.3. “कलेक्टर/जिलाध्यक्ष” से तात्पर्य जिला कलेक्टर से है.

3.4 “आवास” से तात्पर्य ऐसे किराये के भवन से है जिसे विद्यार्थी ने रहने हेतु किराये पर लिया हो.

4. **योजना का स्वरूप व क्रियान्वयन**.—4.1 वर्ष 2013-14 से महाविद्यालयीन स्तर पर अध्ययनरत विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के छात्र-छात्राओं के हितार्थ योजना प्रदेश के समस्त जिले में संचालित होगी.

4.2 योजना जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय एवं विकासखण्ड मुख्यालय एवं अन्य शहरों में लागू होगी.

4.3 आवेदन करने वाले विद्यार्थियों में से नियम के अनुसार पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को आवास सहायता दी जायेगी.

5. **स्वीकृति के अधिकार**.—5.1 विद्यार्थी द्वारा जिस स्थान/ नगर के शासकीय एवं मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय, अन्य संस्थाओं में नियमित अध्ययन किया जा रहा है, उस स्थान पर विद्यार्थी के पालक का आवासीय निवास न होने का प्रमाण-पत्र/ पालक का घोषणा-पत्र “परिशिष्ट—अ” प्रस्तुत करना होगा.

5.2 विद्यार्थियों को शपथ-पत्र एवं मकान मालिकों के सहमति पत्र के आधार पर स्वीकृति के अधिकार शासकीय संस्थाओं के प्राचार्यों एवं अशासकीय संस्थाओं हेतु संबद्ध शासकीय संस्थाओं के नोडल प्राचार्य को होंगे.

6. **पात्रता**.—6.1 शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के महाविद्यालयों एवं समकक्ष तथा उच्च स्तर पर नियमित प्रवेशित तथा जिनका अन्य किसी शासकीय छात्रावास में प्रवेश नहीं हुआ हो, वे विद्यार्थी आवास भाड़ा भत्ता के पात्र होंगे.

6.2 भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं उज्जैन नगरों में राशि रुपये 2000/- प्रति विद्यार्थी, जिला मुख्यालयों पर प्रति विद्यार्थी राशि रुपये 1250/- एवं तहसील/ विकासखण्ड मुख्यालय एवं अन्य शहरों में राशि रुपये 1000/- प्रति विद्यार्थी प्रति माह की दर से आवास भाड़ा भत्ता राशि देय होगी.

6.3 प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथियों तक प्रवेश लेने वाले एवं आवेदन “परिशिष्ट—ब” देने वाले विद्यार्थी योजना के पात्र होंगे.

6.4 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में निर्धारित आय सीमा तक के पात्र विद्यार्थी योजना का लाभ ले सकेंगे.

6.5 निर्धारित आवास भाड़ा भत्ते से अधिक किराये की राशि विद्यार्थियों द्वारा स्वयं वहन करनी होगी. आवास भाड़ा भत्ते के अतिरिक्त विभाग द्वारा अन्य कोई सुविधा देय नहीं होगी.

6.6 अनुत्तीर्ण होने पर आगामी वर्ष में विद्यार्थी इस योजना के लिये अपात्र हो जायेंगे.

6.7 एक वर्ष पश्चात् परिणामों के आधार पर योजना का पुनर्विलोकन किया जायेगा.

6.8 योजना के परिणामों एवं प्रभावों का तृतीय पक्ष (Third Party) मूल्यांकन कराने का प्रावधान रहेगा.

7. **भुगतान की प्रक्रिया.**—7.1 विद्यार्थियों को आवास भाड़ा भत्ता पाठ्यक्रम की कालावधि के लिए ही देय होगा.

7.2 लाभार्थी छात्र-छात्रा मकान मालिक को किराये का भुगतान अकाउंट पेय चेक के माध्यम से करेंगे.

7.3 आधार आधारित बैंक अकाउंट में डी.बी.टी. योजना के अन्तर्गत राशि विद्यार्थियों के खाते में स्थानांतरित की जायेगी.

7.4 स्वीकृत राशि 6-6 माह के अंतराल से दो किश्तों में देय होगी. प्रथम किश्त जुलाई माह में 6 माह का अग्रिम तथा द्वितीय किश्त जनवरी माह में देय होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवि डफरिया, उपसचिव.

“परिशिष्ट—अ”

विद्यार्थी एवं पिता/पालक का घोषणा-पत्र

(क) मैं घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन-पत्र में दी गई समस्त जानकारी सही है.

(ख) मेरा या मेरे पालक का यहां इस स्थान पर कोई भी भवन/आवास नहीं है. मेरे द्वारा (मकान मालिक का नाम/पता) का भवन दिनांक से किराये पर लिया गया है. मैं योजना के सभी नियमों का पालन करने का वचन देता हूँ/देती हूँ. नियमों का पालन नहीं करने पर अथवा जानकारी गलत पाये जाने पर मेरा आवास भाड़ा भत्ता निरस्त किया जा सकेगा.

दिनांक

विद्यार्थी के हस्ताक्षर

नाम

पता

संस्था का प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक

पिता जनजाति द्वारा आवेदन-पत्र में निवास स्थान, जाति, परीक्षाफल एवं आय के संबंध में दिए गए विवरण विद्यालय के अभिलेखों के अनुसार सही है एवं आवेदक विद्यालय/ महाविद्यालय की कक्षा का नियमित छात्र/छात्रा है. छात्र/छात्रा का विद्यालय/ महाविद्यालय में प्रथम प्रवेश क्रमांक प्रवेश दिनांक है.

छात्र/ छात्रा को आवास भाड़ा भत्ता राशि रुपये प्रतिमाह दिनांक से स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है.

दिनांक

संस्था के प्रमुख के हस्ताक्षर एवं सील

“परिशिष्ट—ब”

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग

जिला (म. प्र.)

(मध्यप्रदेश विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति विद्यार्थी आवास भाड़ा भत्ता योजना नियम 2013 के अन्तर्गत आवास भाड़ा भत्ता के लिये आवेदन-पत्र)

प्रति,

संस्था प्रमुख

संस्था का नाम

जिला (म. प्र.).

आवेदक स्वयं का पासपोर्ट साईज फोटो चिपकार्यें एवं एक फोटो अलग से संलग्न करें.

1. विद्यार्थी का पूरा नाम
2. पिता का नाम
3. जनजाति (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
4. पिता का व्यवसाय (पिता की वार्षिक आय). (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
5. स्थायी निवास का डाक का पता फोन नं./मो. नं.
6. क्या विद्यार्थी को पूर्व में कभी संस्था से निष्कासित किया गया है: (हां / नहीं) यदि हां तो कारण
7. कक्षा जिसमें प्रवेशित है
8. गत वर्ष का परीक्षाफल
(अंक सूची संलग्न करें)
9. स्थानीय पालक का नाम
10. स्थानीय पालक का पूर्ण पता एवं फोन नं. (यदि हो तो)

पिता/पालक के हस्ताक्षर

विद्यार्थी के हस्ताक्षर